न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 20 / 2020

1 महावीर आयु 73 साल
2 मालाराम आयु 70 साल
3 बीरबल आयु 63 साल
4 सांवतराम आयु 58 साल पिसरान गणपतदास
5 राजेश आयु 38 साल पुत्र भागीरथ जाति स्वामी लादूसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

ज्ञानीदास पुत्र सुरजदास जाति स्वामी निवासी लादूसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं। दौराने दावा मृतक
1 मदनलाल आयु 55 साल
2 राधेश्याम आयु 50 साल
3 सुभाष आयु 48 साल पिसरान ज्ञानीदास
4 श्रीमती चुकिया आयु 75 साल स्त्री ज्ञानीदास जाति स्वामी निवासी लादूसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
5 मु. परमेश्वरी आयु 60 साल पुत्री ज्ञानीदास स्त्री भगवानदास
6 मु. गीता आयु 52 साल पुत्री ज्ञानीदास स्त्री सेवादास जाति स्वामी किशनपुरा तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
7 मु. मुनी आयु 45 साल पुत्री ज्ञानदास स्त्री रघुनाथ जाति स्वामी निवासी नोहरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 27.08.2019
अ. धारा 225 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट बमुकदमा
उनवानी महावीर वगै. बनाम ज्ञानीदास प्रार्थना पत्र
अस्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 148 / 2012 बअदालत
उपखण्ड अधिकारी मलसीसर जिला झुन्झुनूं

अनिल कुमार II, RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री शिवनारायण सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 28.4.26

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 148/2012 में पारित निर्णय दिनांक 27.08.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण अपीलान्टस ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अ. धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, अ. आदेश 39 नियम 1, 2 व धारा 151 जा.दी. बाबत भूमि खसरा नम्बर हाल 561 जिसके पुराने खसरा नम्बर 217 वाके ग्राम बासड़ी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के तहत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना पत्र में सम्पूर्ण विवादित जमीन के सम्पूर्ण तथ्यों को स्पष्ट करते हुये तीन बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति होने के बाबत स्थिति को स्पष्ट किया जाता है। अपीलान्टस/प्रार्थीगण की ओर से पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रिकार्ड का हवाला देते हुये प्रकरण में विचारण योग्य सब्सटान्सीयल बिन्दु होने पर प्रकाश डालते हुये प्रार्थीगण/अपीलान्टस का प्रथम दृष्टया प्रकरण होना तथा सुविधा संतुलन का बिन्दु भी अपीलान्टस/प्रार्थीगण के पक्ष में होना व स्टे आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में जारी नहीं किये जाने पर प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने के तीनों बिन्दुओं का मौजूद होना स्पष्ट होना है। विचारण न्यायालय के विचाराधीन आदेश दिनांक 27.08.2019 का अवलोकन

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

किया जावे तो इसमें न तो प्रकरण के महत्वपूर्ण तथ्यों का उजागर किया गया है न अप्रार्थी/रेस्पोडेन्टस की ओर से किये गये कथनों को ही प्रकट किया गया है। प्रकरण के किसी भी विवादित बिन्दु को बिना प्रकट करते हुये केवल मात्र प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनना जाहिर होना बताया है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला किस कारण से जाहिर नहीं होता, इस बाबत अदेश पूर्णया गोण है। विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया विचाराधन आदेश कानून से आदेश की श्रेणी में ही नहीं आता। इस आदेश के अवलोकन से विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को मानसिक स्तर का खुलासा होता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी मात्र रबर की मोहर बनकर रह गये है तथा लिपिक अथवा पेशकार जैसा अपने दिमाग से लिखकर अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर देते है, अधिकारी आंख बंद कर अपने हस्ताक्षर से सोभायमान कर देते है। इससे यह अन्दाज लगाया जा सकता है कि राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों का कार्य करने कैसा स्तर है। इस प्रकार के अधिकारियों के प्रति उच्च स्तर के न्यायालयों को शक्ति से पेश आने की आवश्यकता होना प्रकट होता है। कानून की यह भी सुस्थापित व्यवस्था है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण में तीनों आवश्यक बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति की स्थिति को स्पष्ट किया जाना आवश्यक होता है। यदि विचारण न्यायालय द्वारा तीन में से एक भी बिन्दु पर अपना विचारण नहीं किया गया है तो, विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया इस प्रकार का मनमाना आदेश कानून सम्मत नहीं माना जाता। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं के बारे मे तो किसी भी प्रकार से कोई हवाला तक नहीं दिया गया है। इस प्रकार विचारण न्यायालय का आदेश खिलाफ कानून होने से खारिज होन योग्य है। अपीलान्टस/प्रार्थीगण के प्रकरण में विवादित जमीन से संबंधित कई सब्सटेन्सीयल प्रश्न विचारण न्यायालय के समक्ष विचारणीय है जो दावा में बाद ट्रायल साक्ष्य के उपरान्त ही तय किये जा सकेंगे। कानून की यह सुस्थापित व्यवस्था है कि जब न्यायालय के समक्ष कोई सब्सटान्सीयल प्रश्न उठाया गया है जिसका अभिनिर्धारण न्यायालय द्वारा प्रकरण की ट्रायल के बाद ही किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण होना माना जाकर स्टे अदेश जारी किया जाना चाहिये। विचारण न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

गोर न कर आदेश देने में गलती की है। कानून की यह भी सुस्थापित व्यवस्था है कि जब किसी सम्पत्ति के बाबत विचारण लंबित है तो विचारण के दौरान विवादित सम्पत्ति के मौके व रिकार्ड के बाबत स्टेटस को मैनटेन रखा जाना चाहिये तथा दौराने दावा किसी सम्पत्ति के बाबत तृतीय व्यक्ति के हक में हित स्थानान्तरित किये जाने की ईजाजत नहीं दी जानी चाहिये। परन्तु विचारण न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर भी कोई गौर न कर प्रार्थीगण/अपीलान्टस का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध खारिज किये जाने का आदेश दिया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 1998 (2) राज पेज 741, एआईआर 2005 एससी पेज 104, डीएनजे 2006(1) राज पेज 421, आरएलडब्ल्यू 1987 राज. पेज 575, डब्ल्यूएलसी 2008(2) एससी. सिविल पेज 528 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण अपीलान्टस ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अ. धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, अ. आदेश 39 नियम 1, 2 व धारा 151 जा.दी. बाबत भूमि खसरा नम्बर हाल 561 जिसके पुराने खसरा नम्बर 217 वाके ग्राम बासड़ी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। विवादित भूमि पर प्रार्थीया अपीलान्ट का कब्जा नहीं है। आवेदकगण ने जमीन गत खसरा नम्बर 520 सरहद मौजा लादुसर के बंटवारे को चुनौती दी है। पक्षकारान के मध्य हुये विधिवत विभाजन को दावा में चुनौती नही दी जा सकती इस कारण जमीन गत खसरा नम्बर 520 के बाबत क्लेम करने के लिए आवेदकगण को कोई भी वाद कारण पैदा नहीं है। वादीगण/आवेदकगण ने जमीन गत खसरा नम्बर 501 में गणपतदास द्वारा करवाये गये विक्रय–पत्र को चुनौती दी है। विक्रय–पत्र को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार अदालत हाजा को नही है। बंटवारा सन 1992 में हुआ। प्रतिवादी संख्या 3 को विक्रय–पत्र सन 1983 में करवाया गया अन्दर मियाद 12 वर्ष कोई दावा पेश नहीं हुआ। अनावेदक ज्ञानीदास व स्व. गणपतदास के मध्य नामांतकरण संख्या 481 ग्राम लादुसर के कॉलम संख्या 3 में वर्णित आराजियात व प्रार्थना पत्र की धारा 2 तथा धारा 3 में वर्णित जमीन के बाबत मौखिक बंटवारा हुआ।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

मौखिक बंटवारा में उक्त नामान्तकरण संख्या 481 के कॉलम संख्या 10 व 11 में वर्णित आराजी गणपतदास व ज्ञानीदास को मिली तथा प्रार्थना–पत्र की धारा 2 मं वर्णित आराजी गणपतदास को मिली व प्रार्थना–पत्र की धारा 3 में वर्णित जमीन का 1/2 हिस्सा संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर रखा गया। प्रार्थना पत्र. की धारा 2 में वर्णित आराजी पहले से ही गणपतदास के नाम थी और प्रार्थना पत्र की धारा 3 में वर्णित आराजी का 1/2 हिस्सा गणपतदास व अनावेदक ने शामिल में रखना तय किया था। इस कारण शेष बची जमीन वर्णित नामान्तकरण संख्या 481 का सन 1992 में आपसी अनुबन्ध से विधिवत विभाजन किया गया और राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हुआ। उक्त तमाम राजस्व रिकार्ड की आवेदकगण व प्रतिवादी संख्या 2 तथा गणपतदास को हमेशा जानकारी रही है। सहमति व स्वीकृति से राजस्व रिकार्ड बना है। राजस्व रिकार्ड को सही मानकर ऋण के लिए अनुबन्ध किये गये है। इस प्रकार आवेदकगण व प्रतिवादी संख्या 2 व स्व. गणपतदास की स्वीकृति रही है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी अपीलान्ट के पक्ष में नहीं है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलान्ट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005(2) राज पेज 242, एस.बी. सिविल एम.ए. नं. 2355/2013 की प्रति पेश की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण अपीलान्टस ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अ. धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, अ. आदेश 39 नियम 1, 2 व धारा 151 जा.दी. बाबत भूमि खसरा नम्बर हाल 561 जिसके पुराने खसरा नम्बर 217 वाके ग्राम बासड़ी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के आवेदन के निस्तारण के लिए विधि में स्पष्ट प्रावधान है कि पीठासीन अधिकारी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212, अप्रार्थीगण के जवाब एवं उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

दस्तावेजी साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु का निर्धारण कर प्रार्थना पत्र का निस्तारण करेगा।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विवेचन व विश्लेषण किये बिना केवल 4 लाईन में आदेशिका में निर्णय अंकित कर विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायायल द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनकर विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विवेचन, विश्लेषण कर तीनों बिन्दुओं का निर्धारण कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायायल के समक्ष दिनांक 29.05.2026 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 28.4.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन सहायक अपील प्राधिकारी,
सीकर